राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1988/2025 शिव राम मीणा, वरिष्ठ अध्यापक	राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक) विभाग जरिये प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	10.02.2025	16.12.2024 (अनुलग्नक–1)	श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक
2.	2100/2025 भावना यादव, नर्सिंग ऑफिसर	राजस्थान राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जरिये प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	24.02.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
3.	2166/2025 पंकज कुमार सर्वा, चिकित्सा अधिकारी	राजस्थान राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जरिये प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	03.03.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
4.	2167/2025 नितेश गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी	राजस्थान राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जरिये प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	03.03.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
5.	2188/2025 सुमन कुमारी, नर्सिंग अधिकारी	राजस्थान राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जरिये प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	03.03.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से स्थानान्तरण आदेश को चुनौती दी गई। समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण ने आलौच्य स्थानान्तरण आदेश की पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर आलौच्य आदेश को चुनौती दी है। यह भी निवेदन किया है कि स्थानान्तरण दूरस्थ स्थान पर किया गया है। अतः अपीलार्थीगण के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थीगण को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपीलों में वर्णित आधारों के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। जहां तक अपीलार्थीगण की व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम मामलों की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य